मध्यप्रदेश शासन

भाषा विभाग

भोपाल, दिनांक ६ सितम्बर, १९६८.

क्र. २५५१-बत्तीस-भा.वि.—मध्यप्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५७ (क्र. ५, सन् १९५८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्र. १२८०-३१६-तेरह-सी., दिनांक २८ फरवरी, १९६३ का अधिक्रमण करके राज्य शासन, उक्त धारा के प्रयोगों के लिए इसके द्वारा निम्न विषय उल्लिखित करता है, यथा:—

(क) दवाइयों के नुस्खे, शव-परीक्षा प्रतिवेदन तथा चिकित्सा-विधि के मिले-जुले मामलों के प्रतिवेदन.

(ख) अंग्रेजी में कार्य करनेवाली संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं तथा समाचार-पत्रों, आदि से होनेवाला (करारों को मिलाकर) पत्र-व्यवहार.

(ग) निम्नलिखित मामलों से संबंधित बातें :—

(१) किसी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का अभिलेखन,

(२) चिकित्सा तथा अन्य विशेषज्ञ साक्षियों द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्यों का अभिलेखन, तथा

(३) मध्यप्रदेश के समस्त फौजदारी तथा दीवानी न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश.

(घ) व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा १३७ की उपधारा (३) तथा दंड-प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ३५६ की उपधारा (२) के अधीन आनेवाले मामले.

उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त, शेष सभी विषयों के लिए राज-काज में हिन्दी का उपयोग अनिवार्य होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीनारायण सरजे,
सचिव.